

2021/143

फर्द अहकाम

खीतरमल बनाम लाली देवी

पद : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

प्राधान्य पत्र/मुकदमा नम्बर : 76/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

28/01/2022

उपरोक्त के इस आदेश पर
 ध्यान रखें प्रमाण पत्र
 कोर्ट के निष्पत्ति को
 गैर वास्तविक आदेश दिनांक
 28/01/2022 को पेश करें।

(Signature)

28/01/2022

उपरोक्त के बचत पर
 सन्तुष्ट किया गया। प्रार्थना है
 अपनी बचत में जाहिर किया कि-
 वादी द्वारा पेश किए गए वादपत्र
 हेतु कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं
 हुआ है। वादी वादपत्र के परत 16/06/2021
 में एक अनुतोष पत्र है कि
 राज. विद्वान पत्र दिनांक 16/06/2021
 को जो दिनांक 14/06/2021 को
 पेश किया गया है। उक्त
 राज. विद्वान पत्र को वादी
 के तब से अधिकारी के के
 मुकदमे के मुकदमे के लिए प्रमाण पत्र
 इस न्यायालय के राज. विद्वान
 पत्र के साथ जोड़कर पेश करना
 आवश्यक नहीं होने के कारण
 वाद-बचत का प्रमाण पत्र है।

(Signature)

2021/143

फर्द अहकाम

दहीतरकर बनाम लखली देवी

आयालय : सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्ती

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 75/21

क्रमा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>वर्तमान मामले में दहीतरकर ने जवाब देकर वादी को वादकारण दिनांक 25/06/2021 की दारना द्वारा उत्पन्न हुआ है। फौजदारी के पुराने पर कपारी का बयान है कि वाद द्वारा 84 रोज का उत्तरकारी का बयान के तहत पत्र दिया गया है जिसका शकनाशिका इस आधार पर की प्रस्तुत है।</p> <p>उपरोक्त पत्रों की वरस पुनः पत्रावली पर उपरोक्त रिपोर्ट का अवलोकन करने तथा उक्त पत्रों द्वारा दिए गए बयानों के अध्ययन करने पर हमारा यह है कि -</p> <p>वादी ने वाद पत्र के विद्वानों के से वाद हेतुक उपपन्न होने की धारणा दिनांक 25.06.2021 को वर्तक किया है जो निम्न प्रकार है -</p> <p>1) वादी की शिकायत पत्रों को उत्तर कारक शुभ</p>	

दिना -

2024/143

फर्द अहकाम

दहीर गाँव बनाम लाला दीव

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 76/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>विश्रामपत्र की जावकारी परिवार विभाग (जिम्मा 1) से दिनांक 25.06.2024 को हुई थी इस कारण कारण वारी को यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।</p> <p>पुथम इच्छा वारी की शारीरिक मजबूती हेतु जो प्रमाण पत्र पेश किया गया है उसमें वारी को (Healing Impairment) 86% यानी सुने में 86% तक क्षति बताया गया है अन्य कोई कक्षा का उल्लेख प्रमाण पत्र में नहीं है।</p> <p>कतः दिनांक 16.06.2024 को पेश एवं 16.07.2024 को पंजीकृत विश्राम पत्र की जावकारी वारी को न होना संभव नहीं है।</p> <p>इस दिनांक 25.06.2024 को वर्णित धारणा से जो वाद हेतुक उत्पन्न होना रुचन दिया है वह सिविल न्यायालय में विश्रामपत्र को मुख्य दायित्व बनाने हेतु पर्याप्त हो सकता है किन्तु इस न्यायालय में धारा-88 राज. कार्यकारी अधिनियम के</p>

(Signature)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी
1. छीतरमल पुत्र रामधन
जाति मीना निवासी ग्राम झर,
तहसील बस्सी, जिला जयपुर
जरिये संरक्षिका पत्नि स्याणी देवी
पत्नि छीतरमल निवासी ग्राम झर,
तहसील बस्सी, जिला जयपुर
(राजस्थान)।

प्रतिवादी
बनाम
1. लाली देवी पत्नि गोपाल
जाति निवासी ग्राम झर ढाणी ढोलकी,
तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. रामजीलाल पुत्र रामधन जाति मीना
निवासी ग्राम झर, पटवार हल्का झर,
तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
बस्सी तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी,
जिला जयपुर।

**दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955**

मु0न0 76/2021

निर्णय दिनांक 28.01.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वाद को वादहेतुक के अभाव में एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज किया जाता है।
.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा.....
.....इस मुकदमे का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28.01.2022 को जारी किया गया।

मुहर

दस्तख्त.....
ओ. 20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर-
बस्सी जिला जयपुर